

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश



राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
01	02	03	04
01	श्री जय शंकर छंगाणी व्याख्याता-इतिहास, राउमावि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड दूसरा पुलिया- जोधपुर	जनवरी 2021 एवं फरवरी 2021 दो माह	राउमावि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड दूसरा पुलिया - जोधपुर में पुस्तकालयाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के रिक्त पद विरुद्ध
02	श्रीमती राखी मेहता व्याख्याता-इतिहास राउमावि रूपाहेड़ी कलां- कोटखावदा- जयपुर	अक्टूबर 2019 से मार्च-2020 तक	राउमावि रूपाहेड़ी कलां- कोटखावदा जयपुर में नवसृजित व्याख्याता इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन व्यवस्था/31825/इति-वाणि/2021

दिनांक-01/04/21

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ प्रधानाचार्य/कार्मिक
- 5 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर